

01.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण अखिवरग  
व अतिवादी संख्या 23 तहसीलदार रानीवाड़ा  
उपरिधत। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व  
संलग्न स्थावेजों का अवलोकन किया गया व  
तहसीलदार रानीवाड़ा से पृष्ठ P.O. प्रस्ताव का  
अवलोकन किया गया।

वादीगण के वाद के संलग्न मौजा भापड़ी  
परिवार भूज कर का की जमाबंदी संवत् 2066-207  
के अन्तर्गत संख्या 172 अक्षरा नम्बर 627, 628, 629  
630, 631, 634, 635, 636 अक्षरा कुल 9.77 हेक्टर  
में दर्ज है। उक्त आराजी की ज़ातेदारी हरीराम,  
लालाराम, भागीरथ, संगाराम पि. जागता कीनू  
वलद किराना कलचन्द, तेजाराम रानाराम किशनाराम  
लाधुराम तुलद्वाराम पि. फगबु मु. हीरा केवा फगबु  
उ गंगाराम वरींग-वेना पि. वगत काना कोजा  
अक्षरा आरमल हरदान पि. लुग्गा उ जपराम भेराराम  
कालुराम पि. रामचन्द्र जमना केवा रामचन्द्र उ दौम  
किरनोरी सा उगांव ज़ातेदार दर्ज है।

वादीगण द्वारा वाद में कीनू वलद किराना व  
जमना केवा रामचन्द्र संख्यावेदारों को वादपत्र में  
पत्रकार के रूप में सेयोजित नही किया है। वादपत्र  
में आवश्यक पत्रकारों के सेयोजन के अभाव से वादी  
का वादपत्र न्यायवित में स्वीकार योग्य प्रतीत  
नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार  
पर वादीगण का वाद अडेश। नियम 3 सीमित  
शक्ति सेहित के तहत वादपत्र में आवश्यक पत्रकारों  
के सेयोजन के अभाव से स्वीकार योग्य नही होने  
से न्यायवित में खारीज किया जाता है। वही स्थिति  
के अन्तर्गत न्यायवित से वाद हेतु स्वतंत्र है। पत्रकारान  
अपना-अपना खर्च वहन करें। पत्रावली केसल  
शमार होकर नम्बर व काम ले।

सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा